

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-05वीं मार्च 2019

सेवा में

में0 इकोनवी बिल्डटेक प्रा0 लि0,
आनंदम लेन, चिरा चास,
मिडिल स्कूल के पास, बोकारो।

विषय:- मौजा-चास, प्लॉट नं0-581, 582& 593, खाता नं0-17& 18, वार्ड नं0-02, थाना-चास, बोकारो में प्रस्तावित में0 आनंदम भवन निर्माण हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, चास, बोकारो से कराई गई। उनके द्वारा ज्ञापांक-43 दिनांक-10.02.19 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित बहुमंजिली भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों के सामने वाले भाग में कम से कम पचहत्तर-पचहत्तर हजार लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु Fire Service Draw-Out Connection दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों में अग्निशमन कार्य हेतु बीस-बीस हजार लीटर क्षमता वाले टेरस वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ प्रस्तावित दोनों ब्लॉक के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी में 150mm डायामेटर वाले एक-एक ऐसे डाउन कमर सिस्टम का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 63 mm डायामेटर का डिलिवरी आउटलेट तथा 30-30 मी0 लम्बा होजरील होज का संस्थापन कराया जाय।
5. दोनों ब्लॉकों के सभी तलों पर प्रत्येक डिलिवरी आउटलेट के पास दो-दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच विथ नोजल सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
6. सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार के पास थ्रीवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
7. दोनों ब्लॉकों में अग्निशमन कार्य हेतु एक-एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2280 Lpm क्षमता वाले फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
8. दोनों ब्लॉकों में 900 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाला टेरस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
9. समान क्षमता का एक डीजल चालित फायर पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
10. पम्पिंग सिस्टम मानक के अनुरूप पॉजीटिव सक्शन वाला रखा जाय।
11. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
12. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
13. प्रस्तावित दोनों ब्लॉक की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन से हीं कराया जाय।
14. भवन में प्रति 400 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले दो-दो अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
15. प्रस्तावित भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
16. दोनों ब्लॉकों के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी को कम से कम 02 घंटा अग्नि-रोधी स्वचालित फायर चेक डोर से सुरक्षित किया जाय।

- 17.मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
- 18.बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
- 19.दोनों ब्लॉकों के लिए प्रस्तावित लिफ्टों में से कम से कम 01-01 लिफ्ट का निर्माण फायर लिफ्ट के रूप में कराया जाय, जिसकी क्षमता 544 के0जी0 से कम की न हो।
- 20.प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
- 21.मानक के अनुरूप भवन में रिफ्युज एरिया का निर्माण कराया जाय।
- 22.प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों के सामने वाले भाग में मानक के अनुरूप कम से कम 12-12 मीटर लम्बा ठोस, समतल, चौड़ा एवं खुला स्थान हर समय उपलब्ध रखा जाय, ताकि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में हाईड्रोलिक प्लेटफार्म से अग्निशमन अथवा एवं कार्य में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
- 23.भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे। साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट तथा एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सभी सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
- 24.अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
- 25.प्रस्तावित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
- 26.राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

**SUDHIR
KUMAR VERMA**

Digitally signed by SUDHIR KUMAR VERMA
DN: cn=, o=JHARKHAND FIRE SERVICE GOVERNMENT OF
JHARKHAND, ou=JHARKHAND FIRE SERVICE, JHARKHAND
RANCHI, postalCode=834002, st=Jharkhand,
2.5.4.20=be79f6de477ab835184e26d31d3ae7ca454094a9de3
dca9d239baecb4299edc1,
serialNumber=na160855d883685dd1fa203c62f139cc098217
b1b01d801d3d83d880cfe03e, cn=SUDHIR KUMAR VERMA
Date: 2019.03.05 16:33:46 +05'30'

(श्री सुधीर कुमार वर्मा)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।